पुरस्कृत ग्राम वन विकास समितियों का विवरण

हि.प्र. वन पारिस्थितिकी तन्त्र प्रबन्धन एवं
आजीविका सुधार परियोजना (जाइका वित्तपोषित)

पुरस्कृत ग्राम वन विकास समितियों का विवरण

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (**JICA** वित्तपोषित)

संकेताक्षर की सूची

सीआईजी	सांझा रुचि समूह (Common Interest Group)
डीएमयू	मण्डल प्रबंधक इकाई (Divisional Management Unit)
ईसी	कार्यकारी समिति (Executive Committee)
एफसीसीयू	वन वृत्त समन्वय इकाई Forest Circle Coordination Unit)
एफटीयू	क्षेत्रीय तकनीकी इकाइयां (Field technical Unit)
जीबीएम	जनरल बॉडी मीटिंग (General Body meeting)
जी.ओ.आई.	भारत सरकार (Government of India)
हि.प्र.	हिमाचल प्रदेश
एचपीएफडी	हिमाचल प्रदेश वन विभाग (Himachal Pradesh Forest Department)
एचपीएफईएमएस	वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका में सुधार के लिए सोसायटी
जेबीसी	जड़ी-बूटी प्रकोष्ठ (Jadi-Buti Cell)
JICA	जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (Japan International Cooperation Agency)
जेएफएम	संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management)
जेएफएमसी	संयुक्त वन प्रबंधन समिति (Joint Forest management Committee)
एनटीएफपी	गैर-इमारती वन उत्पाद (Non-Timber Forest Produce)
पीएफएम	भागीदारी वन प्रबंधन
पीआईएचपीएफईएम और एल	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना (Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods)
पीआईएम	भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (Participatory irrigation Management)
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन इकाई (Project management Unit)
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह (Self-help Group)
WUG	जल उपयोगकर्ता समूह (Water User Groups)
वीएफडीएस	ग्राम वन विकास समिति (Village Forest Development Society)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पेज संख्या
1	"ग्राम वन विकास समिति" सरली	4
2	"ग्राम वन विकास समिति" सैण टौणा देऊ	12
3	"जैव विविधता उप समिति " जनहाल	20
4	"ग्राम वन विकास समिति" बाबा सिद्ध गोदड़िया	28
5	"ग्राम वन विकास समिति" मदारा–छलाड़ी	36
6	"ग्राम वन विकास समिति" गुंसा–ढलिवना	44
7	"ग्राम वन विकास समिति" रूहिल मलोग	52

"ग्राम वन विकास समिति" सरली

गठन तिथिः	16.11.2019	**पंजीकरण संख्याः**	HPCD-2345
जिलाः	कुल्लू	**वन वृत्तः**	कुल्लू
वन मंडलः	कुल्लू	**वन परिक्षेत्रः**	भुट्ठी
कुल सदस्य :	122	**पुरुषः**	61
		महिलाः	61
कार्यकारी समिति के सदस्य :	15	**पुरुषः**	6
		महिलाः	9

ग्राम वन विकास समिति की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र	क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री राम नाथ	प्रधान		9	श्रीमती हेती देवी	सदस्य	
2	श्रीमती मीना देवी	उप प्रधान		10	श्रीमती रीना देवी	सदस्य	
3	श्री बीर बहादुर	सचिव		11	श्रीमती लीला देवी	सदस्य	
4	श्रीमती हीरा देवी	संयुक्त सचिव		12	श्री माहेर सिंह	सदस्य	
5	श्री बलबीर सिंह (बीओ)	कोषाध्यक्ष		13	श्री नारायण दत्त	सदस्य	
6	श्रीमती शीला देवी	सदस्य		14	श्री रमेश चंद	सदस्य	
7	श्रीमती बीना देवी	सदस्य		15	श्रीमती बलजीत कौर (वन रक्षक)	सदस्य	
8	श्रीमती शानू देवी	सदस्य					

1. परिचय

सरली ग्राम कुल्लू के बस्तोरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। चयनित "ग्राम वन विकास समिति" सरली क्षेत्र वनमण्डल कुल्लू वन परिक्षेत्र भुट्टी में दुघिलाग बीट के अंतर्गत आता है। "ग्राम वन विकास समिति" सरली पूर्व में बस्तोरी गांव, पश्चिम में दुघिलाग गांव, उत्तर में नाथन गांव और दक्षिण में भलथा गांव से घिरा है। सरली के लोग कुल्लू जिले की लगघाटी के थचा मशान गांव और मंडी जिले के बरोट घाटी से भी पलायन कर चुके हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानीय देवता ''नारायण देवता'' हैं। गर्मी के मौसम में दूर–दराज के लोग इस धार्मिक स्थल पर आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। 06 नवम्वर, 2019 को "ग्राम वन विकास समिति" सरली (108 परिवार और प्रत्येक परिवार से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (13 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद "ग्राम वन विकास समिति" सरली को 14 फरवरी, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है।

ग्राम वन विकास समिति का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन को मजबूत और वृद्धि करना है।

ग्राम वन विकास समिति के सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है। सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान ग्राम वन विकास समिति सदस्यों, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियो शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। ग्राम वन विकास समिति के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ग्राम वन विकास समिति ने अभिसरण ; (Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये।
- सरली के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और VFDS का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।
- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।
- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए वन का भ्रमण किया ।
- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।
- कार्यकारी समिति के सदस्य वीएफडीएस के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।
- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत VFDS का पंजीकृत किया ।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम वन विकास समिति (VFDS) ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- सिराज मंडल प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
- कोष की मांग ।
- VFDS के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- वीएफडीएस के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।
- सूखे के दौरान VFDS के सदस्यों ने पौधों की सिंचाई में भाग लिया।

- VFDS सदस्य ने सामुदायिक स्नानघर की मरम्मत की।

- मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए चैक वाल का निर्माण किया।
- पशुओं के चारे के लिए खुराली का निर्माण किया।

वर्ष 2021

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2021

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)
1	2019-20	279050	279050	0
2	2020-21	1343217	1343217	0
3	2021-22	499860	499860	0
4	2022-23	13860	13860	0
	कुल=	**2135987**	**2135987**	0

Registration No : HPCD-2345

Certificate of Registration of Societies

Himachal Pradesh Societies Registration Act 2006 (Act No. 25 of 2006)

This is certified that the **Ban Vikash Samiti Sarli** located at **Village-Sarli PO - Bhekhli Teh. Kullu Distt. Kullu (HP)** has been registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006) on the **14th** day of **February 2020** (14/02/2020).

Given under my hand and seal at **SDM Office, Kullu**, Himachal Pradesh.

SDM cum Deputy Registrar of Societies

Himachal Pradesh

"ग्राम वन विकास समिति" सैण टौणा देऊ

गठन तिथिः	04.02.2020	**पजीकरण संख्याः**	SDM(Balh)-98/2020
जिलाः	मंडी	**वन वृत्तः**	मंडी
वन मंडलः	मंडी	**वन परिक्षेत्रः**	मंडी
कुल सदस्य :	186	**पुरुषः**	93
		महिलाः	93
कार्यकारी समिति के सदस्य :	11	**पुरुषः**	5
		महिलाः	6

वी एफ डी एस की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री महेंद्र सिंह	अध्यक्ष	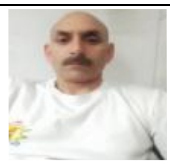
2	श्रीमती राजो देवी	उपाध्यक्ष	
3	श्रीमती कृपा देवी	सचिव	
4	श्री सुरेंद्र कुमार	संयुक्त सचिव	
5	श्री कमल ठाकुर	कोषाध्यक्ष	
6	श्री लेख राज शर्मा	सदस्य	
7	श्री नवीन कुमार	सदस्य	
8	श्रीमती जीता देवी	सदस्य	
9	श्रीमती पुष्पा देवी	सदस्य	
10	श्रीमती दीपिका देवी	सदस्य	
11	श्रीमती बबिता देवी	सदस्य	

1. परिचय

मंडल गांव मंडी जिले के बल्ह ब्लॉक के मंडल पंचायत के वार्ड–4 के अंतर्गत आता है। वार्ड–4 का वन क्षेत्र वन मंडल व वनपरिक्षेत्र मंडी के बीट बडसू में आता है। वार्ड दक्षिण में अर्थी गांव, उत्तर में चौक गांव, पूर्व में मंगला गांव और पश्चिम में टूना देव वन से घिरा हुआ है।

04 फरवरी, 2020 को "ग्राम वन विकास समिति" सैण टौणा देऊ (93 परिवार और प्रत्येक परिवार से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (11 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद VFDS सैण टौणा देऊ को 12 मई, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है। "ग्राम वन विकास समिति" का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है।

वीएफडीएस सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। सूक्ष्म योजना में VFDS ने वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है।

सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान वीएफडीएस सदस्य, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियों शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, ii) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। वीएफडीएस के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वीएफडीएस ने अभिसरण (Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये।
- सैण टौणा देऊ के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और VFDS का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 11 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।
- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।
- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए वन का भ्रमण किया ।
- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।
- वीएफडीएस के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।
- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत VFDS को पंजीकृत किया ।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।

- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए "ग्राम वन विकास समिति" ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- सिराज मंडल प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
- कोष की मांग ।
- VFDS के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- वीएफडीएस के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।

- वीएफडीएस सदस्यों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी के भंडारण के लिए टैंक का निर्माण किया।
- सामुदायिक विकास कार्य के तहत बाउडी का निर्माण किया।
- समुदाय के लिए एक खेल का मैदान विकसित किया।
- मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधि के तहत मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए चैक वॉल का निर्माण किया।

वर्ष 2021

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2022

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया ।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)
1	2020-21	727500	727500	0
2	2021-22	780110	780110	0
3	2022-23	205260	205260	0
	कुल=	**1712870**	**1712870**	0

Certificate of Registration of the Society

Government of Himachal Pradesh

No.SDM(Balh)-98/2020 **Dated:12/05/2020**

This is Certified that **the "Tauna Dev Van Vikas Samiti"** society located at V.P.O.. Mandal , Tehsil Balh, Mandi District has been registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act,2006 on the 12th day of May, 2020.

Registered **Office** : C/O Sh. Brikam Singh S/O Sh. Lal Ram V.P.O. Mandal, Tehsil Balh, District Mandi(HP).

Area of **Operation: Ward No. 4,Gram Panchayat Mandal.**

No.Of **Member-25**

Place: Balh at Nerchowk
Dated: 12 May, 2020

Deputy Registrar of societies
Balh Distt. Mandi HP
उप-पंजीयक समितियाँ
बल्ह उप-मण्डल
जिला मण्डी (१७५०)

Attested

"जैव विविधता उप समिति" जनहाल

गठन तिथिः	15.06.2020	**पंजीकरण संख्याः**	HPCD-2302
जिलाः	कुल्लू	**वन वृत्तः**	जी एच एन पी शमशी
वन मंडलः	वन्यजीव कुल्लू	**वन परिक्षेत्रः**	वन्यजीव कुल्लू
कुल सदस्य :	104	**पुरुषः**	52
		महिलाः	52
कार्यकारी समिति के सदस्य :	16	**पुरुषः**	7
		महिलाः	9

जैव विविधता उप समिति की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र	क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री धर्म सिंह	अध्यक्ष		9	श्रीमती रामदेई	सदस्य	
2	श्रीमती मीना देवी	उपाध्यक्ष		10	श्री शिव चंद	सदस्य	
3	श्री फतेह चंद	सचिव		11	श्रीमती लुहरीदेवी	सदस्य	
4	श्रीमती उर्मिला देवी	संयुक्त सचिव		12	श्रीमती संतोषी देवी	सदस्य	
5	श्रीमती रक्षा देवी	सदस्य		13	श्रीमती उमा देवी	सदस्य	
6	श्रीमती दुर्गा देवी	सदस्य		14	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य	
7	श्री नरेश कुमार	सदस्य		15	श्री जोगिंदर	कोषाध्यक्ष	
8	श्री प्रेम चंद	सदस्य		16	श्री सुनील ठाकुर	सदस्य	

1. परिचय

"जैव विविधता उप समिति" जनहाल कुल्लू जिले के कुल्लू ब्लॉक में शिलिराजगिरी बीएमसी/ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। जैव विविधता उप समिति का क्षेत्र वन्यजीव मण्डल व वन्यजीव परिक्षेत्र कुल्लू के जनहाल बीट के अंतर्गत आता है। "जैव विविधता उप समिति" जनहालखोखन वन्य जीवन अभयारण्य की परिधि में स्थित है। "जैव विविधता उप समिति" जनहाल के निवासी चारे और जलाऊ लकड़ी, दैनिक आवश्यकता के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र पर निर्भर हैं। उप–समिति जनहाल के पूर्व में सुंदर बखली गाँव, पश्चिम में पाहनाला गाँव, उत्तर में खरिहार गाँव और दक्षिण में कंडी गाँव से घिरा हुआ है। ''नारायण देवता'' और ''वीरनाथ'' क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानीय देवता हैं। दूर–दूर से लोग इस धार्मिक स्थल पर देवता की कृपा पाने के लिए आते हैं।

21 दिसंबर, 2019 को "जैव विविधता उप समिति" जनहाल (52 परिवार और प्रत्येक परिवार से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (16 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद "जैव विविधता उप समिति" जनहाल को 15 जून, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है।

''जैव विविधता उप समिति'' का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है।

जैव विविधता उप समिति सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। सूक्ष्म योजना में जैव विविधता उप समिति ने वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है।

सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान जैव विविधता उप समिति सदस्य, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियों शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, पप) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। जैव विविधता उप समिति के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और जैव विविधता उप समिति के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। जैव विविधता उप समिति ने अभिसरण (Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए

ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की ।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की।
- "जैव विविधता उप समिति" जनहाल के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और जैव विविधता उप समिति का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।

वर्ष 2020

- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।
- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए वन का भ्रमण किया ।
- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।
- कार्यकारी समिति के सदस्य जैव विविधता उप समिति के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।
- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।

- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत जैव विविधता उप समिति को पंजीकृत किया ।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए जैव विविधता उप समिति ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- कुल्लू वन्यजीव वन मंडल/प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
- कोष की मांग।
- जैव विविधता उप समिति के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- जैव विविधता उप समिति के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।

- सामुदायिक विकास गतिविधि के तहत जैव विविधता उपसमिति के सदस्यों ने जल संरक्षण के लिए टैंक और बाउरी की मरम्मत की।
- नारायण देवता मंदिर में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया।
- मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधि के तहत मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने और जल संरक्षण के लिए चेक वॉल, चेक डैम और जल तालाब का निर्माण किया।

वर्ष 2021

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2022

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)
1	2019-20	288300/-	288300	0
2	2020-21	577222/-	577222	0
3	2021-22	1113160/-	1113160	0
	कुल=	**1978682/-**	**1978682/-**	0

4. ऑडिट रिपोर्ट

VFDS Janahal

Receipt & Payment A/c For the year Ended on 31/03/2022

Receipt		Amount	Payment		Amount
Opening Balance			Expenses		
CDLI	94,029.00		CDLI	3,68,554.00	
PFM	5,022.28	99,051.28	PFM	2,22,018.80	5,90,572.80
Grant			Bank Charges		
CDLI	7,65,900.00		CDLI	.	
PFM	3,38,530.00	11,04,430.00	PFM	.	.
Interest			Closing Balance		
CDLI	4,578.00		CDLI	4,95,953.00	
PFM	251.00	4,829.00	PFM	1,21,784.48	6,17,737.48
Total		12,08,310.28			12,08,310.28

as per our separate report of even date

For Tiwari Dogra & Associates
Chartered Accountants
FRN : 025322N

CA Naveen Dogra (Partner)
M. No. 526142
Place : Shimla
Dated : 25.11.2022
UDIN : 22526142BECZWP9651

Registration No : HPCD-2302

Certificate of Registration of Societies

Himachal Pradesh Societies Registration Act 2006
(Act No. 25 of 2006)

This is certified that the **Janahal Bio Diversity Sub-committee** located at **Village Janahal PO Mohal Tehsil Bhunter Distt. Kullu PIN Code 175125** has been registered under the provisions of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006) on the **15th** day of **June 2020** (15/06/2020).

Given under my hand and seal at **SDM Office, Kullu**, Himachal Pradesh.

SDM -cum- Deputy Registrar Sub Div. Kullu (H.P.)

SDM -cum- Deputy Registrar of Societies
Sub. Divisional Magistrate
-cum- **Himachal Pradesh**
Deputy Registrar Sub Division, Kullu H.P.

"ग्राम वन विकास समिति" बाबा सिद्ध गोदड़िया

गठन तिथिः	11.03.2019	**पजीकरण संख्याः**	GMR/MA 20-
जिलाः	बिलासपुर	**वन वृत्तः**	बिलासपुर
वन मंडलः	बिलासपुर	**वन परिक्षेत्रः**	घुमारवीं
कुल सदस्य :	96	**पुरुषः**	48
		महिलाः	48
कार्यकारी समिति के सदस्य :	16	**पुरुषः**	8
		महिलाः	8

ग्राम वन विकास समिति की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र	क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री देवराज कौंडल	अध्यक्ष		9	श्रीमती शीला देवी	सदस्य	
2	श्री लेख राम	उपाध्यक्ष		10	श्री अमीचन्द	सदस्य	
3	श्रीमती पिंकी देवी	सचिव		11	श्रीमती सत्या देवी	सदस्य	
4	श्रीमती अंजू देवी	संयुक्त सचिव	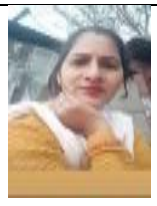	12	श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री पीर चंद	सदस्य	
5	श्री मुकेश कुमार	सदस्य		13	श्री सुरेश कुमार	सदस्य	
6	श्रीमती अंबिका देवी	सदस्य		14	श्री दलेल सिंह	सदस्य	
7	श्री हरि राम	सदस्य		15	श्रीमती मोनिका देवी	सदस्य	
8	श्रीमती अमरती देवी	सदस्य	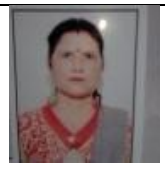	16	श्री देशराज	कोषाध्यक्ष	

1. परिचय

''ग्राम वन विकास समिति'' बाबा सिद्ध गोदड़िया, बिलासपुर वन मंडल के घुमारवीं वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तयमत और रोहिन–खास राजस्व ग्राम रोहिन के अंतर्गत आता है। रोहिन पंचायत 1957 में स्थापित सबसे पुरानी पंचायत हब जिसमें मल्यावर, नानावन, चिलाली, हरलॉग, कुहुमंजवाड़ और जबलियाना गाँव शामिल हैं। रोहिन गांव की स्थापना सिद्ध बाबा सिद्ध गनेरिया ने की थी जो कमल के एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे थे जो हरे–भरे पत्तों में बदल गया था। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र महाराज की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी। सिद्ध बाबा सिद्ध गनेरिया के अनुयायी बाबा सिद्ध गोदड़िया स्थानीय भक्तों के बीच प्रसिद्ध हैं और गांव का नाम उनके नाम पर रखा गया था। रोहिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की घुमारवीं तहसील का एक छोटा सा गांव है। यह विकासखण्ड घुमारवीं की रोहिन पंचायत के अंतर्गत आता है। इस पंचायत के वार्ड तयमत और रोहिन–खास को हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका में सुधार के लिए परियोजना तहत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुना गया जो उत्तर में गाँव पनोह, दक्षिण में टकेरा, पश्चिम में हरलॉग से घिरे हुए हैं।

11 मार्च, 2019 को ग्राम वन विकास समिति (48 हाउस होल्ड और प्रत्येक हाउस से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (16 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद बाबा सिद्ध गोदरिया VFDS को 19 फरवरी, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है।

''ग्रामीण वन विकास सोसायटी'' का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है।

वीएफडीएस सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। सूक्ष्म योजना में VFDS ने वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है।

सूक्ष्म योजना की बनाने प्रक्रिया के दौरान वीएफडीएस सदस्य, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियों शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, ii) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना

(CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। वीएफडीएस के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वीएफडीएस ने अभिसरण के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की ।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की।
- बाबा सिद्ध गोदड़िया के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और VFDS का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया ।
- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।

- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए भ्रमण किया ।
- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।
- कार्यकारी समिति के सदस्य वीएफडीएस के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।
- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत VFDS का पंजीकृत किया।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- बिलासपुर मंडल प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की ।
- कोष की मांग ।
- VFDS के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया ।
- वीएफडीएस के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।

- सामुदायिक विकास गतिविधि के तहत लोगों की भागीदारी से मोक्ष–धाम का निर्माण किया।
- मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधि के तहत जल संरक्षण हेतु तालाब एवं बावरी की मरम्मत की।

वर्ष 2021

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2022

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया ।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)	टिप्पणी
1	2020-21	871050/-	871050/-	0	
2	2021-22	563360/-	395860/-	167500/-	1,00,000/– SHG निधि और 67,500ध्– पूंजीगत लागत क्योंकि SHG ने समूह को जारी रखने से इनकार कर दिया
3	2022-23	151860/-	126000/-	25860/-	
	कुल=	1586270/-	1392910	193360/-	

कार्यालय पंजीयक सभायें

घुमारवीं, ज़िला बिलासपुर (हि०प्र०)

सभाएं पंजीकरण अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

पंजीकरण प्रमाण-पत्र

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र संख्या (GMR)/(MR)/20

यह प्रमाणित किया जाता है कि बाबा सिद्ध गौरड़ियाँ जी ग्राम वन विकास समिति रोहिण जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं के गाँव रोहिण में स्थित सोसाइटी को हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का 25) के अधीन .... तारीख 14/09/2020 को रजिस्ट्रीकृत कर दिया है। जन सूचना अधिनियम के दृष्टिगत समिति अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

उप रजिस्ट्रार सोसाइटी / Registrar of Societies,
(S.D.M.)
घुमारवीं, जिला बिलासपुर / Ghumarwin Distt. Bilaspur (H.P.)
हिमाचल प्रदेश

मू० 500 रुपये पंजीकरण फीस
शुल्क चालान संख्या 25
दिनाँक 14/09/2020
द्वारा जमा किया गया।

"ग्राम वन विकास समिति"
मदारा–छलाड़ी

गठन तिथिः	11.09.2019	**पजीकरण संख्याः**	Rampur Reader(39)/2020-12
जिलाः	शिमला	**वन वृत्तः**	रामपुर
वन मंडलः	रामपुर	**वन परिक्षेत्रः**	सराहन
कुल सदस्य :	182	**पुरुषः**	91
		महिलाः	91
कार्यकारी समिति के सदस्य :	18	**पुरुषः**	11
		महिलाः	7

"ग्राम वन विकास समिति" की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र	क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री सैंज राम	प्रधान		10	श्री सुरेश कुमार	युवक मंडल प्रधान	
2	श्री सरकेश कुमार	उप प्रधान		11	श्रीमती देवंती देवी	सदस्य	
3	श्री पवन कुमार	सचिव		12	श्री भगवान सिंह	सदस्य	
4	श्रीमती कांता देवी	उपाध्यक्ष सचिव		13	श्री चुन्नी लाल	सदस्य	
5	श्री श्याम पति	वार्ड सदस्य		14	श्रीमती शारदा कुमारी	सदस्य	
6	श्री मदन लाल	वार्ड सदस्य		15	श्रीमती रेशमा देवी	सदस्य	
7	श्री गंगा सारनी	महिला मंडल प्रधान		16	श्रीमती लीला देवी	सदस्य	
8	श्री संतोष कुमारी	महिला मंडल प्रधान		17	श्रीमती मंगला देवी	सदस्य	
9	श्रीमती सुषमा देवी	सदस्य		18	श्री कृष्ण लाल	सदस्य	

1. परिचय

"ग्राम वन विकास समिति" मदारा–छलाड़ी, शिमला जिले के रामपुर ब्लॉक में एक राजस्व गांव घनवी के तहत ग्राम पंचायत फांचा के मधारा और छलाड़ी वार्ड के अंतर्गत आता है। मधारा और छलाड़ी वार्ड का क्षेत्र , वनमण्डल रामपुर, वन परिक्षेत्र सराहन के अंतर्गत आता है। वार्ड दक्षिण में घनवी गांव, पश्चिम में फांचा, उत्तर में चुनागी धार और पूर्व में कियाओ गांव से घिरा हुआ है। मदारा और छलाड़ी वार्ड पंचायत कार्यालय से क्रमशः 10 किमी और ब्लॉक कार्यालय से 35 किमी और डीएमयू कार्यालय से समान दूरी और जिला मुख्यालय से 165 किमी की दूरी पर स्थित है। मधारा वार्ड के लोग कुल्लू जिले के मोहाली और धारा सरगा गांव से पलायन करके आए हैं और छलाड़ी वार्ड के कुछ लोग झागोरी गांव से पलायन करके आए हैं हैं। मधारा और छलाड़ी वार्ड में मिट्टी अच्छी नहीं है। इसके अलावा मधारा और छलाड़ी वार्ड ज्यादा भाग चट्टानी और खड़ी ढलान है। सर्दी और गर्मी के मौसम में वार्ड में आग लगना आम बात है और कभी–कभी वार्ड के लोगों की जान–माल को खतरा हो जाता है।

19 सितंबर, 2019 को मदारा–छलाड़ी ग्राम वन विकास समिति (91 हाउस होल्ड और प्रत्येक हाउस से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (18 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद मदारा–छलाड़ी VFDS को 21 मार्च, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है।

"ग्राम वन विकास समिति" का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है।

वीएफडीएस सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। सूक्ष्म योजना में VFDS ने वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है।

सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान वीएफडीएस सदस्य, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियों शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, ii) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। वीएफडीएस के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वीएफडीएस ने अभिसरण

(Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की।
- मदारा–छलाड़ी के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और VFDS का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 18 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।
- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।
- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए वन का भ्रमण किया ।
- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।

- कार्यकारी समिति के सदस्य वीएफडीएस के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।
- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत VFDS का पंजीकृत किया ।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- रामपुर मंडल प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
- कोष की मांग ।
- VFDS के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- वीएफडीएस के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।

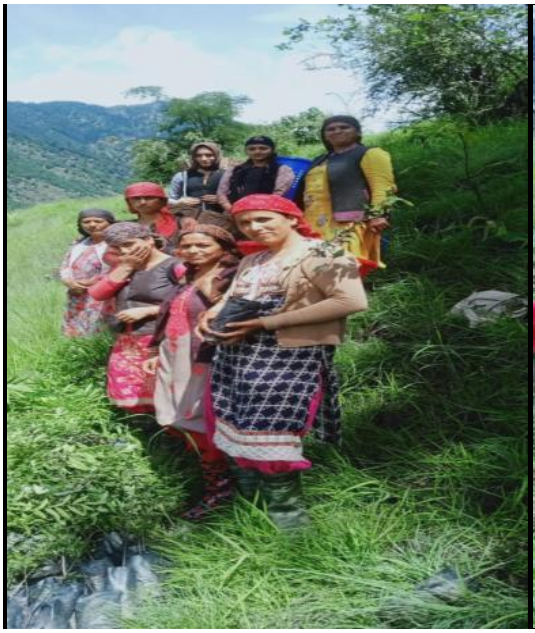

- गांव के रास्ते के विद्युतीकरण के लिए वीएफडीएस ने सौर स्ट्रीटलाइट खरीदी और स्थापित की

वर्ष 2021

- वीएफडीएस सदस्यों ने अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी के भंडारण के लिए टैंक का निर्माण किया।
- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2022

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)
1	2020-21	1166072/-	1166072/-	0
2	2021-22	314910/-	314910/-	0
3	2022-23	250124/-	250124/-	0
	कुल=	1731106/-	1731106/-	0

4. ऑडिट रिपोर्ट

VFDS MADARA CHHLLARI

Receipt & Payment For the year Ended 31 March 2021

Particular	Amount		Particular	Amount	
Opening Balance			Expenses		
A/c 7109	-		A/c 7109	831,770.00	
A/c 0013	-	-	A/c 0013	-	831,770.00
Grant			Bank Charges		
A/c 7109	832,770.00		A/c 7109	-	
A/c 0013	15,400.00	848,170.00	A/c 0013	-	-
Interest			Closing Balance		
A/c 7109	1,255.00		A/c 7109	2,255.00	
A/c 0013	25.00	1,280.00	A/c 0013	15,425.00	17,680.00
		849,450.00			849,450.00

As per our separate Report of even date

For Tiwari Dogra & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No. 025922N

CA Naveen Dogra (Partner)
M.No. 526142
Place : Shimla
Dated : 24/11/2022
UDIN:- 22526142BEBXUG2622

कार्यालय उप–पंजीयक सभाऐं
उप–मण्डल रामपुर बुशहर, जिला शिमला, हि०प्र०।

सभाऐं पंजीकरण अधिनियम XXI, 2006
के अर्न्तगत पंजीकरण प्रमाण

संख्याःरामपुर–रीडर (39) /2020–12 दिनांक 21–3–2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम वन विकास समिति मदारा छलाडी (गानवी), तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि०प्र० में स्थित सोसाईटी को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का 25) के अधीन आज दिनांक 19–03–2020 को पंजीकृत कर दिया जाता है।

मु०500/–रूपये
HIMGRN-A20141347
दिनांक 18–03–2020
द्वारा जमा किया गया है।

Deputy Registrar of Societies
Rampur Sub Division
Distt. Shimla
उप–पंजीयक सभाऐं
उप–मण्डल रामपुर बुशहर,
जिला शिमला हि०प्र०

"ग्राम वन विकास समिति" गुंसा–ढलिवना

गठन तिथिः	05.03.2020	**पंजीकरण संख्याः**	Chopal 12/2020
जिलाः	शिमला	**वन वृत्तः**	शिमला
वन मंडलः	चौपाल	**वन परिक्षेत्रः**	नेरवा
कुल सदस्य :	104	**पुरुषः**	52
		महिलाः	52
कार्यकारी समिति के सदस्य :	16	**पुरुषः**	10
		महिलाः	6

"ग्राम वन विकास समिति" की कार्यकारी समिति के सदस्य

क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र	क्रमांक	कार्यकारिणी सदस्य का नाम	पद	छायाचित्र
1	श्री मस्तराम	अध्यक्ष		9	श्रीमती कौशल्या देवी	सदस्य	
2	श्री पीताम्बरदत्त	उपाध्यक्ष	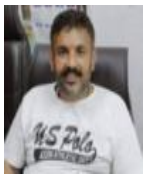	10	श्रीमती शांति देवी	सदस्य	
3	श्री श्याम सिंह	सचिव		11	श्रीमती कौशल्या वर्मा	सदस्य	
4	श्रीमती संतोषी	संयुक्त सचिव		12	श्री रमन वर्मा	सदस्य	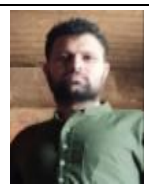
5	श्री संतोष कुमार	कोषाध्यक्ष		13	श्री रमन सिंह	सदस्य	
6	श्री केवल राम	सदस्य		14	श्री सुरेंद्र सिंह	सदस्य	
7	श्रीमती पिंगला देवी	सदस्य		15	श्री जोगेंद्र सिंह	सदस्य	
8	श्रीमती सुनीता देवी	सदस्य		16	श्री मोहन सिंह	सदस्य	

1. परिचय

गुंसा–ढलिवना वार्ड वन परिक्षेत्र नेरवा के लालपानी पंचायत के अंतर्गत आता है। "ग्राम वन विकास समिति" क्षेत्र वन परिक्षेत्र कार्यालय और राजस्व खंड कार्यालय नेरवा से 13 किमी की दूरी पर, डीएमयू कार्यालय से 35 किमी और जिला मुख्यालय से 135 किमी की दूरी पर स्थित है। बिजट महाराज प्रसिद्ध स्थानीय देवता हैं जो इस VFDS क्षेत्र के ऊपर स्थित हैं। देवता का आशीर्वाद पाने के लिए दूर–दूर से लोग इस धार्मिक स्थल पर आते हैं। VFDS के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए सेब की खेती पर निर्भर हैं। इस VFDS की कुल जनसंख्या 325 है। इस VFDS की साक्षरता दर 94.46% है। जहां तक इस VFDS की धन रैंकिंग के बारे में है, लगभग 22 परिवार (HH) बेहतर स्थिति की श्रेणी में आते हैं। 14 परिवार मध्यम आय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 12 परिवार गरीब/छोटे किसान श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 7 परिवार कमजोर स्थिति में हैं। पंचायत के रिकॉर्ड के अनुसार 55 परिवारों में से 07 परिवार बीपीएल के अंतर्गत आते हैं और उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस VFDS के तहत 44.72% भूमि वन विभाग के स्वामित्व में है। लगभग 55.23% भूमि ग्रामीणों के पास निजी भूमि के रूप में है। इस VFDS में कोई समुदाय, पंचायत या अन्य भूमि नहीं है। वन मंडल चौपाल की कार्य योजना के अनुसार इस वीएफडीएस के तहत कुल वन क्षेत्र 124.73 हेक्टेयर है। जंगल का यूपीएफ कुल शुद्ध क्षेत्र 132.40 हेक्टेयर है। ग्रामीणों के यूपीएफ में अधिकार दर्ज हैं जैसे कि रास्ते का अधिकार, चारागाह, जलाऊ लकड़ी का संग्रह, एनटीपीएफ का संग्रह, दाह संस्कार के लिए सूखे पेड़, घरेलू पशुओं के लिए चारा (घास और कटी हुई शाखाएं) और जंगल में जल स्रोत। पतझड़ और बरसात के मौसम में अधिकांश मवेशियों को बाड़े में खिलाया जा रहा है। इस वार्ड में सर्दी और वसंत के मौसम में खुली चराई की जाती है। प्रमुख प्रजातियाँ देवदार मुख्य रूप से लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थानीय निवासी लगभग सभी स्थानों से एनटीएफपी एकत्र करते हैं, जिसमें जंगली मशरूम, लिंगुर, गुच्छी और बनक्ष शामिल हैं। जंगली मशरूम जुलाई/अगस्त के महीने में एकत्र किए जाते हैं और स्वयं खाए जाते हैं। इस वार्ड में प्राथमिक उपयोगकर्ताओं की कुल जलाऊ लकड़ी की खपत लगभग 602 टन है। इस वार्ड के सभी परिवार जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं। प्रति गाय/दिन औसत चारे की खपत 45 किलोग्राम है। इस वार्ड में 07% परिवारों में चारे की कमी है। देवदार, कैल का उपयोग मुख्य रूप से घर के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है।

05 मार्च, 2020 को "ग्राम वन विकास समिति" गुंसा–ढलिवना (52 हाउस होल्ड और प्रत्येक हाउस से 2 सदस्य) और कार्यकारी समिति (16 सदस्य) का गठन किया गया। कार्यकारी समिति के सदस्यों के गठन के बाद गुंसा–ढलिवना VFDS को 04 जून, 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है। ''ग्रामीण वन विकास सोसायटी'' का उद्देश्य स्थायी वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार और संस्थागत

क्षमता को मजबूत करके पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करके वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन और वृद्धि करना है।

वीएफडीएस सदस्यों ने वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वन विभाग के फील्ड स्टाफ की मदद से सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान) तैयार की। सूक्ष्म योजना में VFDS ने वन और गैर–वन गतिविधियों को सूक्ष्म योजना शामिल किया गया है।

सूक्ष्म योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान वीएफडीएस सदस्य, वन और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बातचीत करके सूक्ष्म योजना में न केवल वानिकी और सामुदायिक विकास गतिविधियों शामिल की बल्कि इसमें उन सभी विकास गतिविधियों को भी शामिल किया जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। माइक्रो प्लान में दो प्रकार की उप–योजनाएँ हैं; i) वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना (FEMP) और, ii) सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP)। माइक्रो प्लान 10 साल के विजन के आधार पर 5 साल के लिए तैयार किया है। वीएफडीएस के जनरल हाउस में माइक्रो प्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस के बीच सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वीएफडीएस ने अभिसरण (Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (बीडीओ) और अन्य लाइन विभागों के साथ माइक्रो प्लान की प्रतियां साझा की ।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की।
- गुंसा–ढलिवना के निवासियों ने एक बैठक बुलाई और VFDS का गठन किया और PFM मोड गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।
- माइक्रो प्लानिंग के लिए बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) और त्वरित ग्रामीण मूल्यांकन (आरआरए) कार्यक्रम आयोजित किये।
- समिति के सदस्यों ने वनस्पति को जानने और वृक्षारोपण क्षेत्रों के चयन के लिए वन का भ्रमण किया ।

- बुनियादी सूचनायें एकीकृत करके समिति के सदस्यों ने सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया शुरू की।
- कार्यकारी समिति के सदस्य वीएफडीएस के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वीएफडीएस बायलॉज, फोटोग्राफ, विभाग से एनओसी आदि जैसे सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थितियों के विश्लेषण, सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई ।
- हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 (2006 की अधिनियम संख्या 25) के तहत VFDS का पंजीकृत किया ।
- जनरल हाउस में माइक्रो प्लान स्वीकृत किया ।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी ने डिवीजन मैनेजमेंट यूनिट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान (FEMP) और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना (CD&LIP) नाम के दो बैंक खाते खोले।
- चौपाल मंडल प्रबंधन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
- कोष की मांग ।
- VFDS के सदस्यों ने चयनित स्थलों पर पौधे रोपने में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- वीएफडीएस के सदस्यों ने नमी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण स्थलों में ट्रेंच की खुदाई में भाग लिया।

वर्ष 2021

- सामुदायिक विकास गतिविधि के तहत लोगों की भागीदारी से सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया।
- मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधि के तहत मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के लिए चेक वॉल का निर्माण किया।
- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।
- दो स्वयं सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।

वर्ष 2022

- समुदाय के लोगों ने वृक्षारोपण रखरखाव कार्यों में भाग लिया जैसे कि पौधों की निराई और पौधों का पुनर्रोपण।
- आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया ।

3. बजट

क्रमांक	वर्ष	प्राप्त निधि (रूपये)	खर्च (रूपये)	बकाया राशि (रूपये)
1.	2019-20	2,09,376/-	2,09,376/-	-
2.	2020-21	7,64,270/-	7,64,270/-	-
3.	2021-22	35,460/-	35,460/-	-
4.	2022-23	48400/-	48400/-	-
	कुल =	**1057506/-**	**1057506/-**	

4. ऑडिट रिपोर्ट

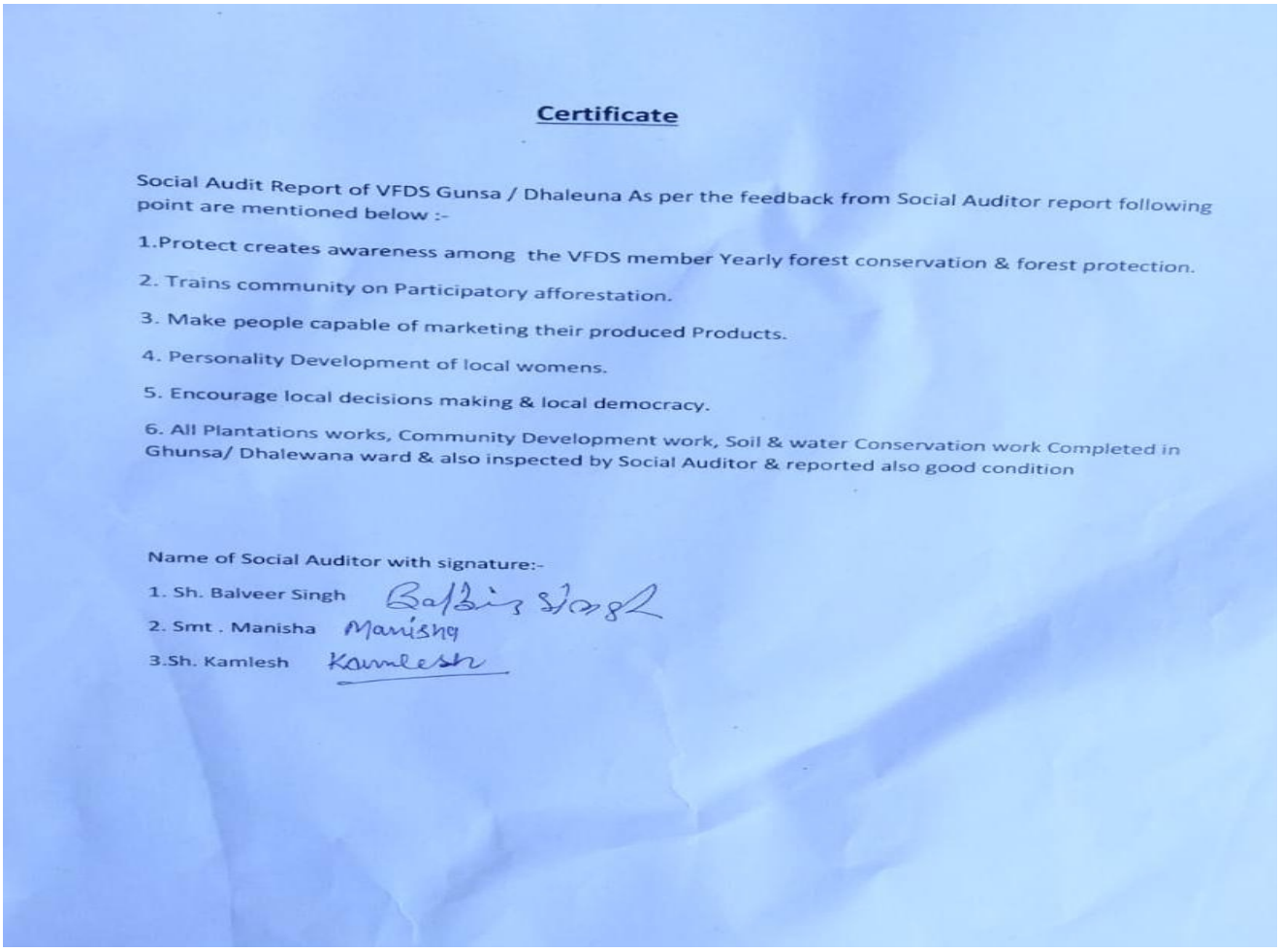

Certificate

Social Audit Report of VFDS Gunsa / Dhaleuna As per the feedback from Social Auditor report following point are mentioned below :-

1.Protect creates awareness among the VFDS member Yearly forest conservation & forest protection.

2. Trains community on Participatory afforestation.

3. Make people capable of marketing their produced Products.

4. Personality Development of local womens.

5. Encourage local decisions making & local democracy.

6. All Plantations works, Community Development work, Soil & water Conservation work Completed in Ghunsa/ Dhalewana ward & also inspected by Social Auditor & reported also good condition

Name of Social Auditor with signature:-

1. Sh. Balveer Singh Balbir Singh
2. Smt . Manisha Manisha
3. Sh. Kamlesh Kamlesh

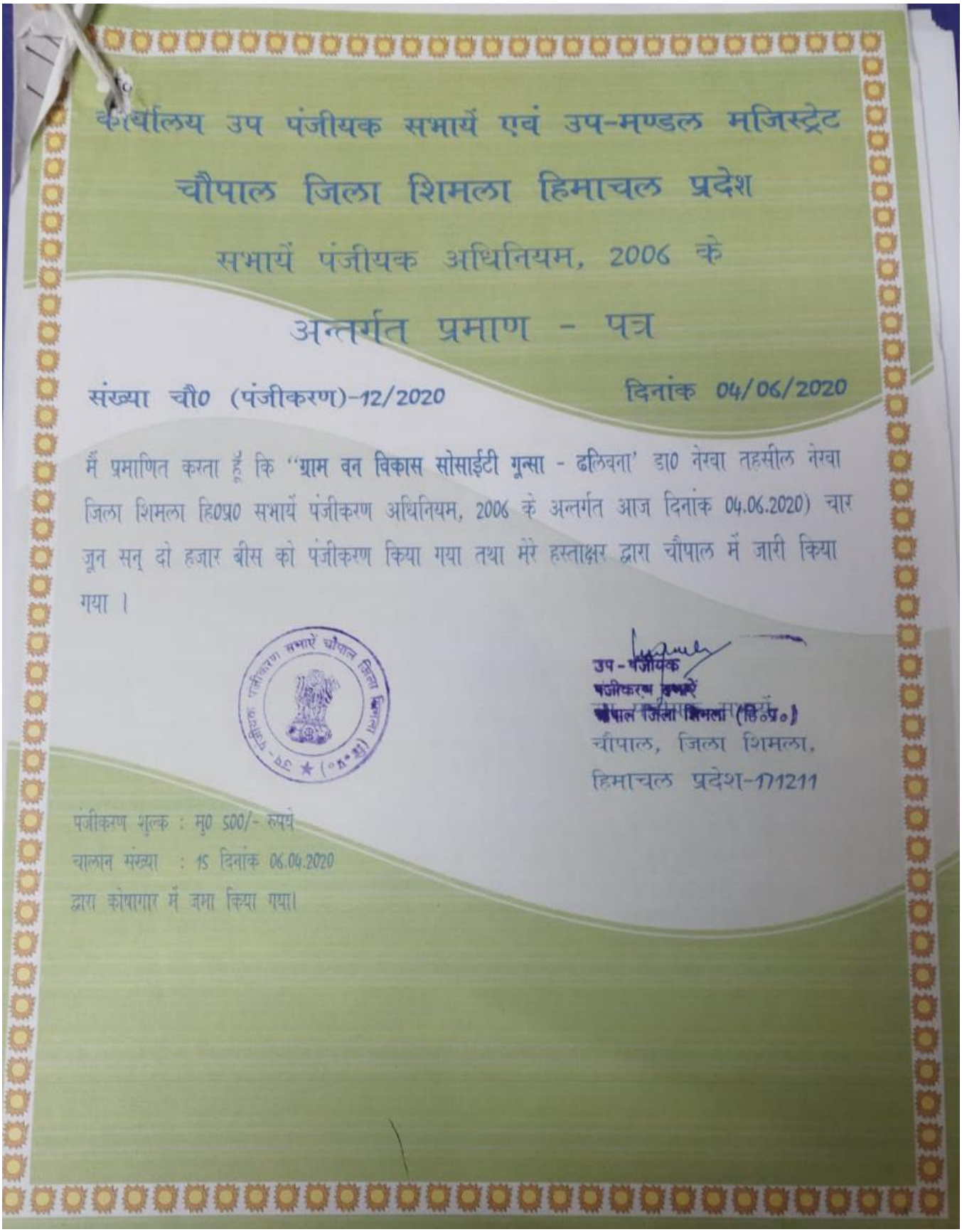

कार्यालय उप पंजीयक सभायें एवं उप-मण्डल मजिस्ट्रेट

चौपाल जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

सभायें पंजीयक अधिनियम, 2006 के

अन्तर्गत प्रमाण - पत्र

संख्या चौ0 (पंजीकरण)-12/2020 दिनांक 04/06/2020

मैं प्रमाणित करता हूँ कि "ग्राम वन विकास सोसाईटी गून्सा - ढलिवना' डा0 नेरवा तहसील नेरवा जिला शिमला हि0प्र0 सभायें पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आज दिनांक 04.06.2020) चार जून सन् दो हजार बीस को पंजीकरण किया गया तथा मेरे हस्ताक्षर द्वारा चौपाल में जारी किया गया ।

उप-पंजीयक
पंजीकरण सभायें
चौपाल जिला शिमला (हि0प्र0)
चौपाल, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश-171211

पंजीकरण शुल्क : रु0 500/- रुपये
चालान संख्या : 15 दिनांक 06.04.2020
द्वारा कोषागार में जमा किया गया।

"ग्राम वन विकास समिति" रूहिल मलोग

गठन तिथिः	03.12.2019	**पंजीकरण संख्याः**	RHU/08/2020
जिलाः	शिमला	**वन वृत्तः**	शिमला
वन मंडलः	रोहडू	**वन परिक्षेत्रः**	सरस्वतीनगर
कुल सदस्य :	200	**पुरुषः**	100
		महिलाः	100
कार्यकारी समिति के सदस्य :	13	**पुरुषः**	8
		महिलाः	5

"ग्राम वन विकास समिति"
की कार्यकारी समिति के सदस्य

विरेन्द्र सोपट
प्रधान

रक्षा भन्डारी
उप–प्रधान

दबीरबान रावत
सचिव

कमला सोपटा
सहसचिव

लोकिन्द्र चौहान
कोषाध्यक्ष

प्रीतम सिंह
सदस्य

विक्रान्तरपटा
सदस्य

श्रीमती अमिता
सदस्य

श्रीमती कल्पना सिथटा
सदस्य

श्री प्रताप सिंह मान्टा
सदस्य

श्री लायक राम
सदस्य

श्रीमती शीला पेजटा
सदस्य

श्री प्रेम थापा
सदस्य

1. परिचय

ग्राम रूहिल मलोग जिला शिमला तहसील जुब्बल ग्राम पंचायत नन्दपुर के अन्तर्गत आता है। चयनित ग्राम वन विकास समिति रूहिल मलोग क्षेत्र रोहडू वन प्रभाग मण्डल इकाई के सरस्वती नगर रेंज में रांवी गढ़ बीट के अन्तर्गत आता है। ग्राम वन विकास समिति रूहिल मलोग के पूर्व में छाजपुर पश्चिम में गांव शलाड़ उतर में बदियार और दक्षिण में वन क्षेत्र कोट टिब्बा स्थित है। नगर कोटि माता मलोग क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थानीय देवता हैं। गर्मी के दिनों में दूर–दूर से लोग देवता का आशीर्वाद लेने के लिए इस धार्मिक स्थल पर आते हैं।वार्ड रूहिल मलोग में पंजाब तथा उतराखण्ड राज्यों से पलायन कर दशकों पहले कई परिवार यहा आकर बस गए थे। यह क्षेत्र सेब बाहुल क्षेत्र है। यहां के लोग मुख्यतः बागवानी पर ही आश्रित है जिसकी शुरूआत स्व0 श्री दीनानाथ डोड सुपुत्र स्व0 श्रीराम सिंह डोड जी ने वर्श 1949 में की थी। इस क्षेत्र में साक्षरता दर बहुत अच्छी होने के बावजूद यहां का युवा वर्ग भगौलिक परिस्थियां सेब के अनुकूल होने के कारण बागवानी में ही अपनी रूची रखता है।

03 दिस्मबर 2019 को ग्राम वन विकास समिति और कार्यकारी समिति का गठन किया गया। जिसका नाम प्रेरणा ग्राम वनविकास समिति रूहिल मलोग रखा गया। कार्यकारी समिति के गठन के पश्चात 28 फरबरी 2020 को हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 25) के तहत पंजीकृत किया गया है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात ग्रामवनविकास समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से तथा वन विभाग की मदद से सूक्ष्म योजना तैयार की गई। जिसमें वानिकी और सामुदायिक गतिविधियों को तो शामिल किया ही गया है इसके साथ उन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है जो अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य सरकारी विभागो और एजेंसियों द्वारा की जा सकती है।

वीएफडीएस के जनरलहा उसमें माइकोप्लान की मंजूरी के बाद डीएमयू और वीएफडीएस ने अभिसरण (Convergence) के माध्यम होने वाली गतिविधियों के लिए ग्राम पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और अन्य लाइन विभागो के साथ माइकोप्लान की प्रतिया सांझा की गई है।

2. गतिविधियाँ

वर्ष 2019

- परियोजना गतिविधियों के बारे में समुदाय को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत और वार्डस्तर पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।

- परियोजना गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत अनापति प्रमाणपत्र के पश्चात 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया।
- कार्यकारी समिति के सदस्य वीफडीएस के के लिए आधार कार्ड राशनकार्ड तथा विभाग से अनापति प्रमाणपत्र आदि सभी दस्तावेज एकत्र किये।

वर्ष 2020

- वर्तमान परिस्थियों के विश्लेषण सामाजिक मूल्यांकन और सदस्यों के साथ बातचीत माध्यम से सूक्ष्म योजना तैयार की गई।

- जनरल हाउस में माइक्रोप्लान स्वीकृत किया।
- सूक्ष्म योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्राम वनविकास समिति ने मण्डलीय प्रबन्धन इकाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकिए।
- चयनित पौधारोपण क्षेत्र में गडढे बनाने तार–बाड़ आदि लगाने का कार्य किया।

- दो स्वय सहायता समूहों की पहचान और गठन किया।
- रोहडू मण्डल प्रबन्धन इकाई से सूक्ष्म योजना की स्वीकृति प्राप्त की।
  फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्लान और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार योजना नाम से दो बैंक खाते खोले।

वर्ष 2021

समुदाय के लागो ने चयनित स्थलों पर पौधारोपण कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया।

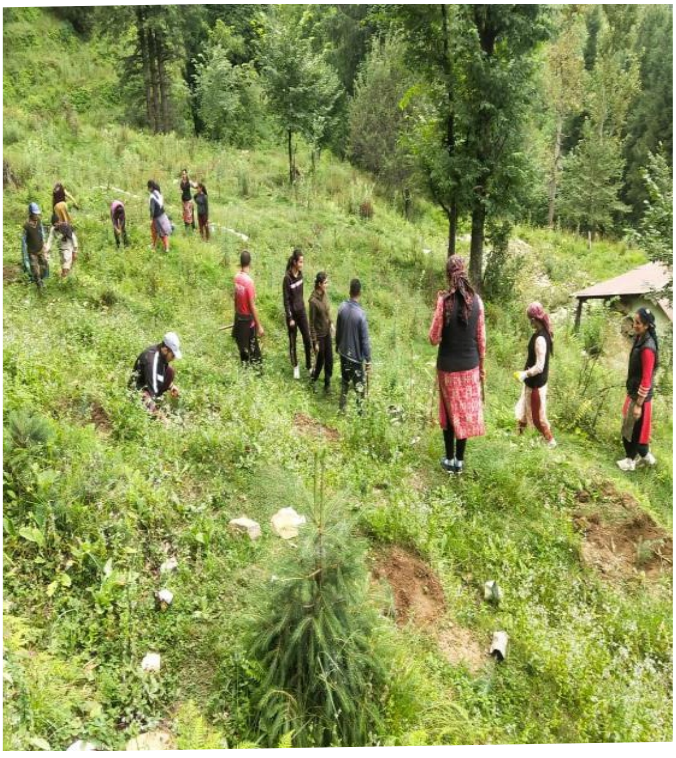

आग पर काबू पाने के लिए फायर पेट्रोलिंग का काम किया।

- सामुदायिक विकास कार्यगतिविधि के तहत वार्ड के लागों को घास की टोली लगाने हेतू 400 जीआई खम्बों का वितरण किया।

- पौधारोपण स्थलों मे ंनमी संरक्षण के लिए ट्रेंच खुदाई कार्य में भाग लिया।

DEPUTY REGISTRAR SOCIETIES, SUB DIVISION ROHRU, DISTRICT SHIMLA H.P.

हिमाचल प्रदेश सरकार

FORM-II

(See Rule-5)

No.RHU/08/2020

This is to certify that, PRERNA V.F.DEV. Society RUHIL-MALOG G.P. NANDPUR, TEHSIL JUBBAL, District SHIMLA, Himachal Pradesh has been registered under the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (25 Of 2006) on this 28th February, 2020.

Rs 500 /- Challan No 01 , Dated 20-02-2020

Place: ROHRU.

Deputy Registrar Societies,
Sub Division Rohru, District
Shimla H.P.

Deputy Registrar Societies
Sub Division Rohru
Distt Shimla

मुद्रक :
नारायण आर्ट प्रिंटर्ज़ प्रा0 लि0
जेल रोड़, मण्डी, (हि.प्र.), फोन : 01905-223217

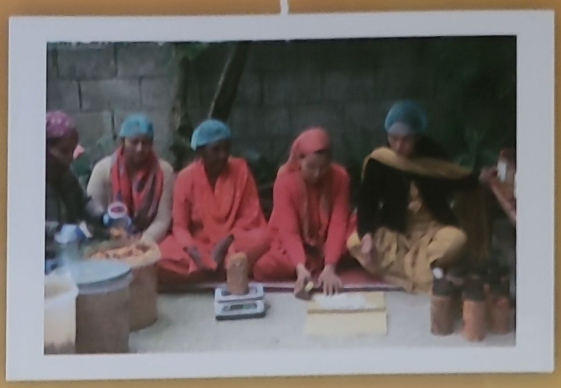

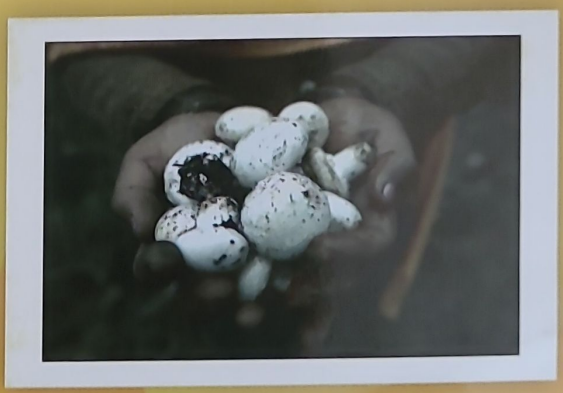
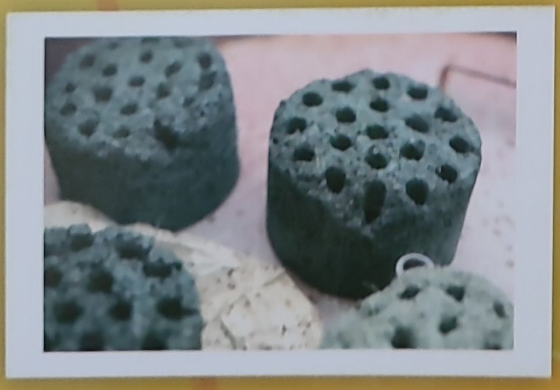

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :-
मुख्य परियोजना निदेशक, जाइका वानिकी परियोजना, पोटरस हिल, समरहिल, शिमला-5 हिमाचल प्रदेश
ई-मेल: cpdjica2018hpfd@gmail.com, वेबसाइट: jicahpforestryproject.com फोन नंबर: 0177-2832217